आदेश की क्रम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एंव हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि
8.5.2018	(आदेश नीचे)	

जमाबंदी रद्द वाद संख्या 52/2017–18

राज्य बनाम आजीम मियां पिता कारू मियां साकिन जमुआटांड, पीरटांड

आदेश

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता –सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी के पत्रांक 237 दिनांक 21.02.2018 द्वारा अभिलेख प्राप्त हुआ है।

अभिलेख अन्तर्गत मौजा जमुआटांड थाना नं0 141 के खाता नं0 20 प्लॉट नं0 133 रकवा 0.15 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल भूमि की आजीम मियां पिता कारू मियां साकिन जमुआटांड अंचल पीरटांड के नाम कायम अवैध जमाबंदी को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के आलोक में रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अभिलेख अन्तर्गत पक्षकारों को सूचना निर्गत कर भिन्न–भिन्न तिथियों को सुनवाई की गई।

अभिलेख अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुएः–

मौजा जमुआटांड थाना नं0 141 के खाता नं0 20 प्लॉट नं0 133 रकवा 0.15 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास जंगल भूमि है।

वादगत भूमि केवाला से प्राप्त बताया गया । लेकिन पक्षकार द्वारा क्रय की गई प्रश्नगत भूमि किस प्रकार प्राप्त है इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

भूतपूर्व जमींदार द्वारा प्रश्नगत भूमि का रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।

प्रश्नगत जमीन का दाखिल–खारिज/नामांतरण नहीं किया गया है।

राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 द्वारा गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी भूमि को प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में रखा गया है।

स्पष्ट है कि सरकार के हित को नुकसान पहुँचाने एवं व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के उदेश्य से पंजी II में अनाधिकृत प्रविष्टि की गई है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मौजा जमुआटांड थाना नं0 141 के खाता नं0 20 प्लॉट नं0 133 रकवा 0.15 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल भूमि की आजीम मियां पिता कारू मियां साकिन जमुआटांड अंचल पीरटांड के नाम कायम अवैध जमाबंदी को जगदेव महतो एवं कमिशनर में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द की जाती है।

सम्पुष्टि हेतु अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल हजारीबाग के माध्यम से सरकार को भेजी जाय।

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

उपायुक्त, गिरिडीह।